

द्वितीय सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष- मोहम्मद अजहर)

क्लेम प्रकरण क्र. 06/15

संस्थित दिनांक 18/02/2015

1. लाखन सिंह आयु 55 वर्ष पुत्र फतेह सिंह गुर्जर
 2. श्रीमती कुसमा देवी आयु 52 वर्ष पत्नी लाखन सिंह गुर्जर समस्त जाति गुर्जर, निवासीगण ग्राम कीरत पुरा वार्ड क्रमांक 17 कस्बा गोहद जिला भिण्ड
-आवेदकगण

बनाम

1. वीरेन्द्र सिंह बघेल आयु 32 वर्ष पुत्र सुन्नू लाल बघेल निवासी जादौन आटा चक्की के पास सैनिक कॉलोनी गोला का मंदिर ग्वालियर म0प्र0
वाहन चालक/स्वामी मोटरसाइकिल क्र.एम.पी.-07एम.एन-1245
2. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्रधान कार्यालय 3 मिडिलंटन स्ट्रीट कोलकता शाख ग्वालियर म0प्र0

.....बीमा कंपनी

.....अनावेदकगण

आवेदक द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता

अनावेदक क्रमांक-1 द्वारा श्री एन.एस. तोमर अधिवक्ता।

अनावेदक क्रमांक-2 द्वारा श्री आर0सी0 गुप्ता अधिवक्ता।

// अधि-निर्णय //

(आज दिनांक 21.02.2018 को पारित)

- 1^प आवेदकगण की ओर से यह क्लेम याचिका धारा 166 सहपठित 140 मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत दिनांक 19.08.14 को ग्राम जिगसौली रोड के मंदिर के पास साडा रोड अंतर्गत थाना पुरानी छावनी ग्वालियर में सुबह लगभग 10:30 बजे हुई मोटर वाहन दुर्घटना में आवेदकगण के पुत्र सूरज गुर्जर को आई चोटों से हुई उसकी मृत्यु के परिणाम स्वरूप आवेदकगण से संयुक्त रूप से अथवा प्रथक प्रथक रूप से क्षतिपूर्ति की राशि 18,30,000/-रुपए ब्याज सहित दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

2^प क्लेम याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.08.14 को आवेदकगण का पुत्र सूरज गुर्जर अपने मित्र राजकुमार की मोटरसाइकिल बजाज डिस्कर क्रमांक एम.पी.-30/एम.सी./9817 से दोनों तिघरा डेम घूमकर वापिस आ रहे थे। तीन के पुरा से आगे आने पर जिगसौली गांव के मोड़ पर ऋतुराज चौराहे से अनावेदक क्रमांक 01 वीरेन्द्र सिंह बघेल मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07/एम.एन-1245 को तेजी व लापरवाही से चलाकर सूरज गुर्जर की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे सूरज गुर्जर को गंभीर चोटें आईं तथा राजकुमार को भी चोटें आईं। सूरज गुर्जर को सहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पर दौराने इलाज दिनांक 31.08.14 को सूरज की मृत्यु हो गई। जिसकी रिपोर्ट थाना पुरानी छावनी पर की गई। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3^प दुर्घटना से पूर्व मृतक 17 की आयु का होकर कक्षा 10वीं का छात्र था, जो भविष्य में अच्छी नौकरी प्राप्त करता तथा अपने मां बाप का बुढ़ापे का सहारा बनता अपनी अच्छी नौकरी प्राप्त कर प्रतिवर्ष लगभग 2,40,000/-रुपए वार्षिक कामाता और आवेदकगण का बुढ़ापे का सहारा बनता। असमय मृत्यु होने से अनावेदकगण के बुढ़ापे का सहारा छिन गया है। सूरज के इलाज, परिवहन, दाहसंस्कार आदि में राशि खर्च हुई है, आय की हानि भी हुई है। दुर्घटना दिनांक को प्रश्नगत वाहन का चालक एवं पंजीकृत स्वामी अनावेदक क्रमांक 01 वीरेन्द्र बघेल था। उक्त मोटरसाइकिल अनावेदक क्रमांक 02 बीमा कंपनी में समस्त दायित्वों के लिए बीमित थी। उक्त आधारों पर क्षतिपूर्ति की राशि ब्याज सहित दिलाए जाने की प्रार्थना की गई है।

4^प अनावेदक क्रमांक 01 की ओर से क्लेम याचिका का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए आवेदकगण के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्ख्यान किया गया है। उक्त दिनांक 19.08.14 को अनावेदक क्रमांक 01 की ओर से उक्त प्रश्नगत मोटरसाइकिल में टक्कर नहीं मारी गई है। अनावेदक क्रमांक 01 के विरुद्ध गलत रूप से प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया

है तथा गलत रूप से क्लेम आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण द्वारा बजाज डिस्कवर एम.पी.-30/एम.सी.-9817 को दुर्घटना में शामिल किया गया है तथा अनावेदक क्रमांक 01 की मोटरसाइकिल को गलत रूप से फंसाया है। अनावेदक क्रमांक 01 की मोटरसाइकिल से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है। उक्त आधारों पर क्लेम याचिका निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

5^प अनावेदक क्रमांक 02 बीमा कंपनी की ओर से क्लेम याचिका का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए आवेदकगण के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्ख्यान किया गया है और यह अभिवचन किया गया है कि यदि दिनांक 19.08.14 को उपरोक्त वाहन मोटरसाइकिल से दुर्घटना होना, उक्त दुर्घटना में सूरज की मृत्यु होना, उक्त मोटरसाइकिल बीमा कंपनी में बीमित होना आदि प्रमाणित पाया जाता है तो यह आपत्तियां की गई हैं कि दुर्घटना दिनांक को कथाकथित मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07/एम.एन.-1245 के ड्रायवर के पास वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लाइसेंस नहीं था। प्रकरण में बजाज डिस्कवर एम.पी.-30/एम.सी.-9817 के पंजीकृत स्वामी एवं चालक को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है। दो मोटरसाइकिलों की टक्करों से दुर्घटना हुई है। इस कारण दुर्घटना कन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी प्रकृति की है। इस कारण क्षतिपूर्ति की राशि की गणना का दायित्व आनुपातिक रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। क्लेम याचिका निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

6^प उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिवचनों एवं प्रलेखों के आधार पर मेरे पूर्व विद्वान पदाधिकारी के द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्न निर्मित किए गये, जिनके निष्कर्ष साक्ष्य की विवेचना के आधार पर उनके सामने लिखे जा रहे हैं:-

वादप्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या अनावेदक क्रं.-01 द्वारा दिनांक 19.08.14 को सुबह करीब 10:30 बजे जिगसौली रोड, मंदिर के पास अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.	प्रमाणित।

—07—एम.एन.—1245 को उपेक्षा पूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मृतक सूरज गुर्जर की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की, जिसमें आई चोटों के परिणाम स्वरूप उपचार के दौरान सूरज गुर्जर की दिनांक 31.08.14 को मृत्यु कारित हुई ?	
2. क्या आवेदकगण उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप मृत हुए सूरज गुर्जर बाबत अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि पाने के पात्र है, यदि हां तो किससे और कितनी-कितनी राशि ?	आवेदकगण अनावेदकगण से 4,90,743 /—रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
3. क्या अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा अपनी उक्त मोटरसाइकिल की बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, यदि हां तो प्रभाव ?	अप्रमाणित।
4 क्या प्रकरण में अशंदायी उपेक्षा का सिद्धांत लागू होता है, यदि हां तो किस सीमा तक ?	अप्रमाणित।
5 क्या प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है ?	अप्रमाणित।
6. अन्य अनुतोष ?	क्लेम याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

—:सकारण निष्कर्ष:—

वाद प्रश्न क्रमांक—01 एवं 04 :-

उपरोक्त दोनों वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है, ताकि तथ्यों की पुनरावृत्ति न हो। लाखन सिंह आ0सा0-01 ने यह बताया है कि दिनांक 19.08.14 को उसका पुत्र सूरज अपने दोस्त राजकुमार के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर तिघरा घूमने गया था। वहां से लौटते समय ऋतुराज होटल चौराहे की तरफ से अनावेदक वीरेन्द्र बघेल ने अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.—30/एम.एन.—1245 को तेजी व लापरवाही से चलाकर सूरज वाली मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे सूरज के सिर पर, शरीर में गंभीर चोटें आई, जिसे इलाज के लिए सहारा अस्पताल ग्वालियर में भर्ती किया गया है। सूरज का 12—13 दिन सहारा अस्पताल में इलाज चला, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

- 8^प उसकी इस साक्ष्य की पुष्टि करते हुए रामू सेंगर आ0सा0-02 ने दिनांक 19.08.14 को जिगसौली गांव के मोड़ पर मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07/एम.एन.-1245 के चालक वीरेन्द्र के द्वारा अपनी मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर सूरज वाली मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30/9817 में टक्कर मार देना और जिससे सूरज को गंभीर चोटें आना बताया है। यह भी बताया है कि सूरज को गंभीर हालत में 108 गाड़ी इलाज के लिए ले गए थी तथा 10-12 दिन बाद सूरज की मृत्यु हो गई थी। सूरज की मृत्यु मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07/एम.एन.-1245 के चालक वीरेन्द्र सिंह की लापरवाही से हुई है।
- 9^प राजकुमार आ0सा0-03 ने भी वीरेन्द्र के द्वारा उपरोक्त मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मारना बताया है। यह भी बताया है कि उससे पीछे बैठे सूरज के सिर व छाती में गंभीर चोटें आई थीं। जिससे दिनांक 31.08.14 को दौराने इलाज सूरज की मृत्यु हो गई थी। उक्त मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07/एम.एन.-1245 के चालक वीरेन्द्र के लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाने और टक्कर मारने से आई चोटों के कारण सूरज की मृत्यु हुई है।
- 10^प एस.के. पवार आ0सा0-04 रिकॉर्ड कीपर सहारा अस्पताल ग्वालियर ने दिनांक 19.08.14 को सुरेन्द्र गुर्जर पुत्र लाखन सिंह गुर्जर का भर्ती होना तथा 31.08.14 को अस्पताल से छुट्टी होना बताया है। फिर यह बताया है कि मृतक सूरज सिंह गुर्जर का डेथ सर्टीफिकेट प्र0पी0-01 है, जो सहारा अस्पताल से जारी किया गया है। अशोक सिंह आ0सा0-05 ने भी उपरोक्त घटना की पुष्टि करते हुए दुर्घटना में आई चोटों के कारण सूरज की दिनांक 31.08.14 को मृत्यु हो जाना बताया है।
- 11^प इसके विपरीत वीरेन्द्र सिंह बघेल अना0सा0-01 ने यह बताया है कि दिनांक 19.08.14 को मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-8156 के चालक राजकुमार के द्वारा मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसकी मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07/एम.एन.-1245 में टक्कर मारी जिससे

उसे गंभीर चोटें आई, जिसकी रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 264/14 अंतर्गत धारा-279 एवं 337 थाना पुरानी छावनी ग्वालियर में पंजीबद्ध है, जिसका प्रकरण न्यायालय में संचालित है। उसने यह भी बताया है कि गलत रूप से क्लेम लेने के उद्देश्य से उसे झूठा फंसाया जाकर उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कराया गया है।

12^प बीमा कंपनी की ओर से श्रीमती चंद्रकांता लखोटिया अना0सा0-02 ने अनावेदक क्रमांक 02 बीमा कंपनी की ओर से साक्ष्य देते हुए यह बताया है कि इस प्रकरण में वर्णित घटना एवं अपराध क्रमांक 226/14 पर से संचालित यह क्लेम प्रकरण का कास केस है, जो इस प्रकरण आवेदक द्वारा चालान की प्रति प्रस्तुत की गई है। कागजात से प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित है कि घटना कन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी की है।

13^प इस मामले में अनावेदक क्रमांक 01 की ओर से यह आधार लिया गया है कि उसकी मोटरसाइकिल में तेजी व लारपवाही से चलाकर टक्कर मारी गई थी अर्थात् घटनास्थल पर उसने अपनी उपस्थिति बताई है। उभयपक्ष की ओर से जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उससे यह तथ्य स्वीकृत भी हो जाता है कि अनावेदक क्रमांक 01 वीरेन्द्र सिंह वघेल दिनांक 19.08.14 को सुबह 10:30 बजे के समय घटनास्थल पर उपस्थित था और उसकी तथा राजकुमार की मोटरसाइकिल में टक्कर हुई थी। अब देखना यह है कि किसकी त्रुटि से टक्कर हुई।

14^प दूसरा तथ्य यह है कि आवेदकगण राजकुमार की मोटरसाइकिल बजाज डिस्कवर नंबर एम.पी.-30/एम.सी.-9817 होना बताते हैं, जबकि अनावेदक क्रमांक 01 ने उक्त राजकुमार वाली मोटरसाइकिल का नंबर एम.पी.-30-8156 होना बताया है। आवेदकगण की ओर से उक्त संबंधित आपराधिक प्रकरण अर्थात् अपराध क्रमांक 266/14 से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्र0पी0-01 लगातय प्र0पी0-09 प्रस्तुत की हैं। इलाज व बिल से संबंधित चिकित्सीय दस्तावेज प्र0पी0-20 लगायत 115 है। अनावेदक क्रमांक 01 की ओर से प्र0डी0-01 लगायत प्र0डी0-04 के दस्तावेजों की

प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश की गई है। अनावेदक क्रमांक 02 बीमा कंपनी की ओर से कौंस प्रकरण अपराध क्रमांक 264/14 के संपूर्ण चालान की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०डी०-05 लगायत प्र०डी०-24 प्रस्तुत किए गए हैं। उनकी ओर से प्र०डी०-21 की बीमा पॉलिसी भी प्रस्तुत की गई है।

15^प इस मामले में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आवेदक पक्ष की ओर से लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-01 है, जिसमें राजकुमार के द्वारा मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9817 को चलाना बताया है। कौंस प्रकरण अपराध क्रमांक 264/14 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०डी०-05 में मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.डी.-8156 डिस्कवर के चालक के द्वारा मोटरसाइकिल चलाना बताया गया है। अपराध क्रमांक 266/14 अर्थात हस्तगत प्रकरण में तथा अपराध क्रमांक 264/14 अर्थात कौंस प्रकरण में एक तथ्य उभयनिष्ठ है कि मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07-एम.एन.-1245 बजाज डिस्कवर को अनावेदक क्रमांक 01 वीरेन्द्र सिंह बघेल चला रहा था।

16^प दोनों मामलों की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अलग अलग तथ्य यह है कि वह दूसरी मोटरसाइकिल अपराध क्रमांक 266/14 में एम.पी.-30-एम.सी.-9817 है अपराध क्रमांक 264/14 में एम.पी.-30-एम.डी.-8156 है। अपराध क्रमांक 266/14 में मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9817 प्रारंभ से अंत तक अर्थात अभियोगपत्र प्रस्तुति तक एक ही रहा है, जबकि अपराध क्रमांक 264/14 में प्रथम सूचना रिपोर्ट मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.डी.-8156 के विरुद्ध की गई है। परंतु विवेचना के दौरान यह पाया गया है कि मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9817 से एक्सीडेंट हुआ है और इसी मोटरसाइकिल के विरुद्ध अर्थात चालक राजकुमार के विरुद्ध अभियोगपत्र प्र०डी०-01 प्रस्तुत किया गया है।

17^प अपराध क्रमांक 266/14 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-01 के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक सूरज के जीजा अशोक सिंह के द्वारा घटना के दूसरे दिन दिनांक 20.08.14 को शाम 07:30 बजे लिखाई गई है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के ही मुताबिक उक्त सारी घटना अशोक सिंह को मोटरसाइकिल चालक राजकुमार के द्वारा बताई गई थी। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने वाला चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। प्र०पी०-16 की अकाल मृत्यु की सूचना के मुताबिक सूरज को घायल अवस्था में उसके चचेरे भाई प्रदीप गुर्जर के द्वारा सहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

18^प वहीं अपराध क्रमांक 264/14 में भी प्र०डी०-05 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट बृजकिशोर बघेल अर्थात अनावेदक क्रमांक 01 वीरेन्द्र सिंह बघेल के भाई द्वारा लिखाई गई है। जिसके अनुसार घटना के समय विनोद घटनास्थल पर मौजूद था, जिसने 108 एम्बूलेंस को फोन करके बुलाया था। बृजकिशोर के पुलिस कथन प्र०डी०-07 एवं विनोद के पुलिस कथन प्र०डी०-08 के अनुसार उसे घटना विनोद द्वारा फोन पर बताई गई है, खबर सुनकर वह घटनास्थल पर पहुंचा है। इस प्रकार बृजकिशोर अपराध क्रमांक 264/14 में चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। इस प्रकार दोनों ही प्रकरणों में रिपोर्टकर्ता चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।

19^प अनावेदक क्रमांक 01 वीरेन्द्र सिंह बघेल एवं अनावेदक क्रमांक 02 बीमा कंपनी की ओर से अंतिम तर्क के समय यह आधार लिया गया है कि वास्तव में वीरेन्द्र सिंह बघेल की मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07-एम.एन.-1245 का एक्सीडेंट मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.डी.-8156 से हुआ था, मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9817 से उनकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अनावेदक क्रमांक 01 की ओर से अपने जवाब दावे में यह आधार लिया गया है और इस आशय का मुख्यपरीक्षण भी प्रस्तुत किया है। परंतु अनावेदक क्रमांक 02 बीमा कंपनी की ओर से अपने जवाब दावे में यह आधार नहीं लिया है कि एक्सीडेंट मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9817 से न होकर एक्सीडेंट मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.डी.-8156 से हुआ है।

20^प बीमा कंपनी की ओर से यह तर्क अवश्य किया है कि अपराध क्रमांक 264/14 में मोटरसाइकिल को बदल दिया गया है। परंतु बीमा कंपनी की

ओर से प्रस्तुत साक्षी चन्द्रकांता लखोटिया अना०सा०-02 ने अपनी साक्ष्य में ऐसा नहीं बताया है कि एक्सीडेंट मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9817 से न होकर एक्सीडेंट मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.डी.-8156 से हुआ है। अपितु यह आधार लिया है और साक्ष्य दी है कि घटना कन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी की है। इस प्रकार बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत साक्षी श्रीमती चन्द्रकांता लखोटिया अना०सा०-02 के माध्यम से बीमा कंपनी ने अन्य सभी तथ्यों और साक्ष्य को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि उनका कोई खण्डन नहीं किया है। केवल यह आधार लिया है कि घटना कन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी की है।

21^ए यदि अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा प्रस्तुत इस साक्ष्य पर विचार करें कि एक्सीडेंट मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9817 से न होकर एक्सीडेंट मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.डी.-8156 से हुआ है, तब यह पाते हैं कि स्वयं वीरेन्द्र सिंह बघेल अना०सा०-01 ने एक्सीडेंट होना स्वीकार कर लिया है तथा उसकी मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07-एम.एन.-1245 घटनास्थल पर उपस्थित होकर उससे एक्सीडेंट होना स्वीकार किया है। यह भी स्वीकार किया है कि उस अन्य मोटरसाइकिल को चालक राजकुमार चला रहा था। बीमा कंपनी के द्वारा भी अपने साक्ष्य के माध्यम से एक्सीडेंट होना स्वीकार किया गया है। अब प्रश्न केवल यह रह जाता है कि उक्त अन्य मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.डी.-8156 थी अथवा एम.पी.-30-एम.सी.-9817 थी।

22^ए दोनों ही मामलों में अभियोगपत्र मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9817 के संबंध में हैं अर्थात् पुलिस के द्वारा विवेचना में यह पाया गया है कि घटना में जो दूसरी मोटरसाइकिल लिप्त थी या जिस दूसरी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, उसका क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9817 था। अपराध क्रमांक 266/14 अर्थात् हस्तगत प्रकरण में अभियोगपत्र अनावेदक वीरेन्द्र सिंह बघेल के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। वीरेन्द्र सिंह अना०सा०-01 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-14 एवं 15 में स्वीकार किया है कि

उसके द्वारा स्वयं घटना के संबंध में कोई रिपोर्ट थाने पर या किसी पुलिस अधिकारी को नहीं की गई थी, उसने अपनी चोटों के संबंध में भी कोई क्लेम नहीं किया है।

23^ए वीरेन्द्र सिंह बघेल अनासा-01 ने पैरा-16 में यह भी स्वीकार किया है कि मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-8156 के विरुद्ध कार्यवाही न करने और चालान प्रस्तुत न करने के संबंध में उसके और उसके भाई फरियादी बृजकिशोर के द्वारा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों या न्यायालय में कोई शिकायत या आवेदन नहीं दिया। पैरा-06 में यह स्वीकार किया है कि उक्त दुर्घटना के संबंध में जिसमें सूरज की मृत्यु हुई है, उसका प्रकरण ग्वालियर न्यायालय में उस पर चल रहा है, जिसके संबंध में कोई शिकायत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं की है। इस प्रकार उक्त अभियोगपत्र प्र०पी०-19 वर्ष 2014 में प्रस्तुत हुआ है और तब से उक्त प्रकरण वीरेन्द्र सिंह बघेल के विरुद्ध चल रहा है। आपराधिक प्रकरणों में यह प्रावधान है कि अभियोगपत्र की नकलें भी अभियुक्त को प्रदान की जाती हैं, तब मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9817 के संबंध में मामला होने पर भी वीरेन्द्र सिंह बघेल के द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने से उसके विरुद्ध प्रतिकूल आशय ही निकाला जाएगा कि वास्तव में दूसरी मोटरसाइकिल एम.पी.-30-एम.सी.-9817 ही है।

24^ए अपराध क्रमांक 266/14 के नक्शामौका प्र०पी०-02 एवं अपराध क्रमांक 264/14 के नक्शामौका प्र०पी०-06 की तुलना करने पर यह पाते हैं कि एक ही नक्शामौका है और एक ही घटना के संबंध में है। अपराध क्रमांक 264/14 के अभियोगपत्र प्र०पी०-01 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि साक्षीगण एवं फरियादी के कथन लिए गए हैं एवं शपथपत्र प्राप्त किए गए हैं एवं विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य शपथपत्र कथन आदि से एक्सीडेंट की घटना मोटरसाइकिल बजाज डिस्कवर एम.पी.-30-एम.डी.-8156 के चालक द्वारा घटित न करना पते हुए दूसरी मोटरसाइकिल एम.पी.-30-एम.सी.-9817 के चालक राजकुमार गुर्जर के द्वारा घटित करना पाया गया है। इस तथ्य

की पुष्टि अपराध क्रमांक 266/14 कि प्रपत्रों तथा रामू सेंगर आ०सा०-02, राजकुमार आ०सा०-03 की साक्ष्य से भली भांति होती है।

25^प अपराध क्रमांक 264/14 के अन्य दस्तावेजों का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि बृजकिशोर ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई है, परंतु वह घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। उसके पुलिस कथन प्र०डी०-07 दिनांक 20.08.14 को अर्थात् दूसरे दिन लिया गया है जिसके अनुसार मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07-एम.एन.-1245, बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9817 तथा बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.डी.-8156 घटना दिनांक 19.08.14 को ही घटनास्थल पर खड़ी थी।

26^प बृजकिशोर, विनोद, वीरेन्द्र सिंह के कथन दूसरे ही दिन दिनांक 20.08.14 को लिए गए हैं। विनोद घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है, जिसने प्र०डी०-08 के कथन में मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9817 से एक्सीडेंट होना बताया है। वीरेन्द्र सिंह के पुलिस कथन प्र०डी०-09 में यह तथ्य है कि विनोद ने उसे यह बताया था कि एक्सीडेंट मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9817 से हुआ है। दिनांक 24.11.14 को रामजीलाल एवं रामू सेंगर के पुलिस कथन में मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9817 को राजकुमार के द्वारा चलाया जाना तथा उक्त मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होना बताया है। रामजीलाल उक्त मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9817 का स्वामी है।

27^प अपराध क्रमांक 264/14 में प्रदीप गुर्जर के द्वारा तथा आवेदक लाखन सिंह के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.डी.-8156 लाखन सिंह के स्वामित्व की होकर उक्त वाहन संजीव पुत्र विशाल सिंह के द्वारा तिघरा जाने के लिए ले जाना तथा उससे कोई एक्सीडेंट न होना तथा वापिस लाकर लाखन सिंह को सौंपना बताया गया है। प्रदीप गुर्जर ने शपथपत्र में मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9817 का एक्सीडेंट होना बताया है।

28^प अपराध क्रमांक 264/14 में प्र०डी०-22 की मैकेनिकल जांच रिपोर्ट के अनुसार मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9817 क्षतिग्रस्त होना पाई गई है, जिसमें अगला चिमटा पूरी तरह टूटा हुआ, हेडलाइट बेस सहित टूटी हुई पाई गई है। जप्ती पंचनामा प्र०डी०-02 के अनुसार उक्त मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9817 बजाज डिस्कवर रंग लाल सफेद में सामने की हेडलाइट, शॉकर, रिम, मडगार्ड टूटे हुए पाए गए हैं। अपराध क्रमांक 266/14 अर्थात हस्तगत प्रकरण में इसी मोटरसाइकिल का नुकसानी पंचनामा तैयार किया है, जिसमें मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त होना बताई गई है। इससे भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9817 से ही एक्सीडेंट हुआ है।

29^प वीरेन्द्र सिंह बघेल अना०सा०-01 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-15 में यह बताया है कि उसने अपनी चोटों के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया है। दोनों ही प्रकरणों में पुलिस ने मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9817 को लिप्त होना पाया है। हस्तगत प्रकरण से संबंधित आपराधिक प्रकरण अपराध क्रमांक 266/14 में पुलिस ने विवेचना में प्रथम दृष्टि में अनावेदक क्रमांक 01 को दोषी होना पाया है और उसके विरुद्ध अभियोगपत्र प्रस्तुत किया है। इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वीरेन्द्र सिंह बघेल के द्वारा अपनी मोटरसाइकिल को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चालाया गया और राजकुमार की मोटरसाइकिल में टक्कर मारी, जिससे उक्त घटना कारित हुई और राजकुमार वाली मोटरसाइकिल के पीछे बैठे सूरज को गंभीर चोटें आईं, जिससे दौरोने इलाज उसकी मृत्यु हो गई।

30^प उपलब्ध सामग्री से वीरेन्द्र सिंह बघेल के द्वारा पुलिस के समक्ष या न्यायालय के समक्ष मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9817 लिप्त न होने के संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं किया जाना प्रकट है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में वीरेन्द्र सिंह बघेल की जानकारी में यह तथ्य रहा है कि दुर्घटना में लिप्त मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9817 थी। दोनों ही प्रकरणों में वीरेन्द्र सिंह बघेल के द्वारा मोटरसाइकिल

क्रमांक एम.पी.-30-एम.डी.-8156 के संबंध में कोई कार्यवाही न किया जा ना भी यह दर्शित करता है कि वास्तव में उसके द्वारा ही अपनी मोटरसाइकिल को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाया गया तथा मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9817 में टक्कर मार कर दुर्घटना कारित की। इस मामले में राजकुमार की कोई त्रुटि या योगदाई उपेक्षा होना प्रकट नहीं होती है।

31^ए शवपरीक्षण आवेदन एवं प्रतिवेदन प्र०पी०-12 के अनुसार भी एक्सीडेंट से सूरज की मृत्यु होना प्रमाणित है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रकट और प्रमाणित होता है कि अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा दिनांक 19.08.14 को सुबह लगभग 10:30 बजे जिगसोली रोड मंदिर के पास अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07-एम.एन.-1245 को उपेक्षा पूर्वक व उतावलेपन से चलाकर मोटरसाइकिल में टक्कर मार कर दुर्घटना कारित की, जिससे आई चोटों के परिणामस्वरूप उपचार के दौरान सूरज गुर्जर की दिनांक 31.08.14 को मृत्यु कारित हुई।

वादप्रश्न क्रमांक 03:-

32^ए यह वादप्रश्न बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में है परंतु इस संबंध में अनावेदक क्रमांक 02 बीमा कंपनी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अंतिम तर्क के समय भी कोई ब्रीच न होना व्यक्त किया है। जप्ती पंचनामा प्र०पी०-04 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07-एम.एन.-1245 के साथ साथ रजिस्ट्रेशन बीमा 24.01.15 तक का एवं ड्रायविंग लाइसेंस जप्त किए गए हैं। बीमा कंपनी की ओर से प्र०डी०-21 की बीमा पॉलिसी प्रस्तुत की गई है, जो अनावेदक वीरेन्द्र सिंह बघेल के नाम से है तथा मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07-एम.एन.-1245 के बीमे के संबंध में है। उक्त बीमा पॉलिसी दिनांक 25.01.14 से 24.01.15 तक के लिए है। इस मामले में दुर्घटना दिनांक 19.08.14 की है। इस प्रकार दुर्घटना दिनांक को उक्त प्रश्नगत मोटरसाइकिल समस्त

दायित्वों के लिए अनावेदक क्रमांक 02 की बीमा कंपनी में बीमित थी। श्रीमती चन्द्रकांता लखौटिया अना0सा0-02 ने ऐसा नहीं बताया है कि उक्त प्रश्नगत मोटरसाइकिल के संबंध में बीमा पॉलिसी की किसी शर्त का उल्लंघन हुआ हो। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि बीमा पॉलिसी की किसी शर्त का उल्लंघन किया गया।

वादप्रश्न क्रमांक 05:-

33^ए अनावेदकगण की ओर से यह आधार लिया गया है कि राजकुमार वाली मोटरसाइकिल के पक्षकारों को संयोजित नहीं किया गया है। परन्तु इस संबंध में न्यायदृष्टांत सुशीला भदौरिया बनाम मध्यप्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 2005 ए सी जे 831 अवलोकनीय है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि दोनों वाहनों से संबंधित मालिक एवं बीमा कम्पनी के पक्षकार बनाये जायें। दावेदार दोनों के विरुद्ध अथवा किसी एक के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिये याचिका प्रस्तुत कर सकता है। अतः ऐसी स्थिति में यह आवेदक की स्वेच्छा है कि वह दोनों वाहनों को पक्षकार बनाये या एक वाहन को पक्षकार बनाकर दावा प्रस्तुत करे। उक्त न्याय दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में आवेदक दोनों वाहनों में से किसी भी वाहन से संबंधित व्यक्ति को पक्षकार बनाते हुये किसी के भी विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिये दावा प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का दोष होना प्रकट नहीं होता है।

वादप्रश्न क्रमांक:-02

34^ए यह वादप्रश्न सूरज की मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति की राशि के संबंध में है। इस संबंध में सर्वप्रथम आश्रितता की राशि की गणना किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस संबंध में सर्वप्रथम आयु एवं आय पर विचार करे तो आवेदक लाखन सिंह आ0सा0-01 ने दुर्घटना के समय सूरज की

आयु के संबंध में कुछ भी नहीं बताया है केवल यह बताया है कि सूरज 10वीं का छात्र था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र०पी०-12 में सूरज की आयु 17 वर्ष लिखी हुई है अतः क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए सूरज की आयु दुध टिना के समय 17 वर्ष होना मान्य की जाती है। लाखन सिंह आ०सा०-01 ने यह भी बताया है कि उसकी मृत्यु हो जाने से उनके जीवन के बुढ़ापे का सहारा छिन गया है और परिवार को भविष्य में होने वाली आय से वंचित होना पड़ा है। पैरा-07 में यह स्वीकार किया है कि सूरज 10वीं में पढ़ता था, काम नहीं करता था। परंतु यह निश्चित है कि सूरज अगर जीवित होता तो आय अर्जित कर आवेदकगण के बुढ़ापे का सहारा बनाता।

35^ए जब मृतक सूरज की आयु 17 होना प्रकट है तब यह निश्चित है कि वह मजदूरी नहीं करता था, क्योंकि यह उसकी अवयस्कता की आयु है। अतः ऐसी स्थिति में सूरज की नेशनल आय के अनुसार ही आश्रितता की हानि के संबंध में गणना किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः क्षतिपूर्ति के निर्धारण के उद्देश्य से वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर अकुशल श्रमिक के हिसाब से लगाएं तथा यह भी मान्य करे कि कम से कम 20-25 दिवस कार्य करता है। तब भी कम से कम 5,000/-रु. आय प्रतिमाह की दर से होती है। न्यूनतम मजदूरी की दर तथा महगाई, आवश्यकता तथा अन्य सम्पूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मृतक की मासिक आय 5,000/-रु. मान्य की जाती है। जिसके हिसाब से वार्षिक आय 60,000/-रु. होती है।

36^ए आवेदकगण की ओर से ऐसा नहीं बताया गया है कि सूरज विवाहित था। न्यायदृष्टांत अमृत भानूशाली एवं अन्य बनाम नेशनल इन्श्योरेन्स क०लि० एवं अन्य 2012 एसीजे 2002 में अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में 50 प्रतिशत कटौती किया जाना मान्य किया गया है। न्यायदृष्टांत सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य एआईआर 2009 एससी 3104 में भी माननीय उच्चतम

न्यायालय ने केवल मां को ही आश्रित मानते हुए 50 प्रतिशत कटौती किये जाने का निर्देश दिया है। नेशनल इश्योरेन्स कंपनी बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य वाले मामले में आश्रित यदि माता पिता हैं तब व्यक्तिगण खर्च के रूप में कुल आय का 1/2 भाग को कटौती किया जाएगा। इस मामले में जो साक्ष्य आयी है उसमें मृतक सूरज अविवाहित था।

37^ए सूरज के माता पिता अर्थात आवेदकगण के द्वारा यह क्लेम आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें मां अर्थात आवेदिका क्रमांक 02 श्रीमती कुसमा देवी की आयु 52 वर्ष एवं आवेदक क्रमांक 01 लाखनसिंह अर्थात सूरज के पिता की आयु 55 वर्ष होना बताई गई है। यद्यपि इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं है। जितनी आयु उनके आवेदन पर लिखी हुई है उतनी आयु मान ली जाए तब यह मान्य नहीं किया जा सकता कि लाखन सिंह कोई कार्य नहीं करता हो। लाखन सिंह आ0सा0-01 ने अपना व्यवसाय खेती होना बताया है।

38^ए अतः यह निश्चित है कि श्रीमती कुसमा देवी अपने पुत्र सूरज पर भविष्य में आश्रित रहती। इस संबंध में न्यायदृष्टांत सरलावर्मा वाले प्रकरण में भी मां को ही आश्रित माने जाने का निर्देश दिया गया है। ऐसी स्थिति में भी अविवाहित होने की स्थिति में यह मान्य किया जायेगा कि यदि सूरज जीवित होता तो अपनी आय का 50 प्रतिशत स्वयं के उपर खर्च करता। अतः ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने पर आय का 50 प्रतिशत कटौती किया जाना न्यायोचित है, जिसका कटौती किये जाने पर मृतक सूरज की नेशनल वार्षिक आय 30,000/-रु. रह जाती है जो कि आश्रितता की हानि है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत शान्तिदेवी बनाम न्यू इन्डिया इन्श्योरेन्स क0लि0 एवं अन्य 2011(1)टीएसी 4(एससी) अवलोकनीय है।

39^ए जहां तक कि प्रयुक्त किये जाने वाले गुणक का संबंध है, अमृत भानूशाली के न्यायदृष्टांत के पैरा 17 में यह मान्य किया गया है कि गुणक का चयन मृतक की आयु पर आधारित होना चाहिए न कि आश्रित की आयु के आधार पर, परंतु उपरोक्त न्यायदृष्टांत सरला वर्मा वाले मामले में पैरा 18

में यह अवधारित किया गया है कि सभी केसों में मृतक की आयु के आधार पर गुणक का चयन नहीं किया जा सकता, जिसमें कि उदाहरण भी दिया हुआ है कि यदि अविवाहित की मृत्यु हो जाती है तब उसके पालक अर्थात् आश्रित सदस्य की आयु गुणक का चयन करने हेतु सुसंगत होगी। इस संबंध में न्यायदृष्टांत नेशनल इन्श्योरेन्स क०लि० बनाम श्याम सिंह एवं अन्य एमएसीडी 2011(एससी)118 अवलोकनीय है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि मृतक के अविवाहित होने की स्थिति में उसके पालक/माता पिता की आयु के अनुसार ही गुणांक का चयन किया जायेगा अर्थात् मृतक अथवा आश्रित अर्थात् आवेदक में से जिसकी आयु अधिक हो उसकी आयु के अनुसार गुणक का चयन किया जाएगा। सइ संबंध में न्यायदृष्टांत शक्तिदेवी व न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स क०लि० एवं अन्य 2011(ए)टीएसी 4(एससी) अवलोकनीय है।

40^ए इस संबंध में और स्पष्ट रूप से न्यायदृष्टांत न्यू इण्डिया इश्योरेन्स क०लि० बनाम श्रीमती शान्ति पाठक एवं अन्य 2007(4)टीएसी 17 (एससी) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने तीन न्यायाधीशगणों की पीठ ने इस बिन्दु को निर्धारित किया है और पैरा 7 में यह अभिमत दिया है कि मृतक के अविवाहित होने की स्थिति में उसकी तरफ से दावा करने वाले व्यक्ति की आयु के आधार पर गुणक का प्रयोग किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्त सभी न्यायदृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती कुसुमादेवी अर्थात् आवेदिका की आयु के आधार पर गुणांक का चयन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। न्यायदृष्टांत नेशनल इश्योरेन्स कंपनी बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य में पांच न्यायाधीशगण की पीठ ने आयु समूह के लिए गुणक निर्धारित किए हैं, यद्यपि उक्त गुणक न्याय दृ० सरला वर्मा के अनुसार ही हैं। जिसके परिप्रेक्ष्य में 52 वर्ष की आयु, आयु समूह 51-55 वर्ष का आयु समूह है। जिसके लिए 11 का गुणक प्रयुक्त होगा। 11 का गुणक लगाये जाने पर आश्रितता की हानि की गणना करने पर $30000 \times 11 = 3,30,000/-$ रु की राशि होती है।

41^प न्यायदृष्टांत प्रणय सेठी में मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम संस्कार के व्यय में 15,000/-रु. की राशि दिलाये जाने का मार्गदर्शन दिया गया है। अतः उक्त राशि 15,000/-रु. प्रथक से प्रतिकर स्वरूप दिलाई जाती है। इस प्रकार के मामले में अन्य कोई राशि दिलाए जाने का आदेश नहीं है। परंतु सूरज दिनांक 19.08.14 से 31.08.14 सहारा अस्पताल में भर्ती रहा है। जैसा कि एस.के. पंवार आ०सा०-04 रिकार्ड कीपर सहारा अस्पताल ने बताया है कि सूरज सहारा अस्पताल में दिनांक 19.08.14 को भर्ती हुआ था और दिनांक 31.08.14 को अस्पताल से छुट्टी हो गई थी। उसका डेथ सर्टिफिकेट प्र०पी०-21 होना बताया है तथा प्र०पी०-22 लगायत 115 दवाओं के बिल होना बताया है। अतः ऐसी स्थिति में इलाज का व्यय भी दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

42^प इलाज के व्यय के रूप में सहारा अस्पताल का अंतिम बिल दिनांकित 31.08.14 राशि रूपए 96,723 का है। दवाईयों के केशमेमो में प्र०पी०-22 लगायत 115 की कुल राशि 49,020/- रूपए होती है। इस प्रकार इलाज के व्यय के रूप में कुल राशि 1,45,743/-रूपए आवेदकगण को दिलाई जाती है।

43^प यद्यपि इस मामले में मृतक सूरज के पिता आवेदक क्रमांक 1 लाखन सिंह को आश्रित होना मान्य नहीं किया गया है। परंतु यह निश्चित है कि वृद्धावस्था की ओर जाने पर पुत्र सूरज उसकी वृद्धावस्था का सहारा होता। उसने अपना पुत्र खोया है और पुत्र सुख से बंचित हुआ है। वह सूरज का वारिस भी है। ऐसी स्थिति में उसे भी कुछ क्षतिपूर्ति की राशि दिलायी जाना न्यायोचित होता है।

44^प इस प्रकार आवेदकगण अनावेदकगण से संयुक्त रूप से अथवा प्रथक-प्रथक रूप से निम्नानुसार क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है:-

क्रमांक	मद	राशि
1	आश्रितता की हानि	3,30,000 /—
2	अंतिम संस्कार का व्यय	15,000 /—
3	इलाज का व्यय	1,45,743 /—
कुल क्षतिपूर्ति राशि		4,90,743 /—

वादप्रश्न क-06 सहायता एवं वाद व्यय:-

45^ए उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण अपनी क्लेम याचिका आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। अतः उनका यह क्लेम याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आवेदकगण के पक्ष में एवं अनावेदकगण के विरुद्ध निम्न अधिनिर्णय पारित किया जाता है:-

1. अनावेदकगण आवेदकगण को संयुक्त रूप से अथवा प्रथक-प्रथक रूप से क्षतिपूर्ति राशि 4,90,743 /—(चार लाख नब्बे हजार सात सौ तैतालीस) रुपये अधिनिर्णय दिनांक 21.02.2018 से दो माह के अंदर अदा करें।
2. अनावेदकगण आवेदकगण को आवेदन प्रस्तुति दिनांक 18.02.15 से सम्पूर्ण राशि की अदायगी तक उपरोक्त राशि पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज भी अदा करेंगे।
3. आवेदकगण को उपरोक्त क्षतिपूर्ति की राशि अदा करने का सर्वप्रथम दायित्व बीमा कम्पनी अनावेदक क्रमांक 02 का होगा।
4. उक्त क्षतिपूर्ति की राशि 4,90,743 /—(चार लाख नब्बे हजार सात सौ तैतालीस) रु. एवं उससे प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि में से आवेदिका क्रमांक 02 श्रीमती कुसमा देवी को 4,00,000 /—रु. प्रदान किये जावे, जिसमें से 50,000 /—रु. की राशि 6 माह के लिए, 50,000 /—रु. की राशि एक वर्ष के लिए, 50,000 /—रु. की राशि दो वर्ष के लिए एवं 1,00,000 /—रु. की राशि 5 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स डिपोजिट की जावे तथा शेष राशि उसे बैंक के माध्यम से नगद

प्रदान की जावे।

5. आवेदक क्रमांक 01 लाखन सिंह को शेष राशि प्रदान की जावे, जिसमें से 50,000/-50,000/-रुपये की राशि क्रमशः 3 वर्ष एवं 5 वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स डिपोजिट की जावे तथा शेष राशि उसे बैंक के माध्यम से नगद प्रदान की जावे।

6. अनावेदकगण अपना स्वयं का तथा आवेदकगण का वाद व्यय एवं अभिभाषक शुल्क वहन करेंगे। अभिभाषक शुल्क 2,000/-रु. निर्धारित किया जावे।

उपरोक्तानुसार व्यय तालिका बनायी जावे।

अधिनिर्णय न्यायालय में दिनांकित एवं मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा अधि.
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा.अधि.
गोहद, जिला भिण्ड